(343) (219)

III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3645

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

झल्ले लाल पिता स्व. भरोसा बढ़ई उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम कांकर थाना गढ़, तहसील त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0) ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

रामरती पति स्व. रामलाल कलार उम्र 65 वर्ष, पेशा घरूकार्य व कृषि, निवासी ग्राम कांकर, थाना गढ़, जिला रीवा (म0प्र0) ....गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र विरूद्ध न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक चाक के प्रकरण क. 147 अ 12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 ई.

प्रा०श्री जवाहरलाल दुबे द्वारा पेश 04.10.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न हैं–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/06/2017 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता आराजी नं. 10/6 रकवा 0.453 हे. का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्यधारी है उक्त आराजी नं. 10/6 के अंश भाग 0.100 पर पुनरीक्षणकर्ता का मकान व निस्तार है शेष भाग पर कृषि कार्य करता है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैरपुनरीक्षणकर्ता के सीमांकन आवेदन पत्र पर पुनरीक्षणकर्ता को धोखे में रखकर छलकपट पूर्वक आराजी नं. 13 रकवा 0.713 हे. का

4-10-17

(219)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग. / म.रा. / 2017 / 3645 जिला रीवा

मल्लो लाल बढ़ई विरूद्ध रामरती

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री जवाहर लाल दुबे अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त ...... तहसील ...... के प्रकरण क्रमांक 147/3112/16-17 में पारित आदेश दिनांक 07-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

6-10-17